

1494

15/12/14
2

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्या : 439 / IV(1)2013-1(40) 2012
देहरादून, 09 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 6 की उपधारा 1 के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में अंकित व्यक्तियों को नगर निगम, रूड़की में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं:-

क्र०सं०	नाम	श्रेणी
01	श्रीमती सरला पत्नी श्री राजेन्द्र।	अनुसूचित जाति/जनजाति
02	श्री विजेन्द्र वर्मा एडवोकेट पुत्र श्री सोरण सिंह, निवासी एन्वलेव रूड़की, हरिद्वार।	अन्य पिछड़ा वर्ग
03	श्री मनीष जौहर पुत्र श्री प्रमोद जौहर, निवासी रूड़की।	अन्य
04	श्री रमेश जोशी, निवासी सोनालपुरम, रूड़की।	अन्य

भवदीय

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या : 439 / IV(1)2013-1(40) 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 6- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
- 7- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- 8- मेयर, नगर निगम, रूड़की।
- 9- मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, रूड़की।
- 10- नामित सम्बन्धित सदस्यगण।
- 11- गार्ड फाईल।

OP/SAO
to circulate the
information website
upload the
AD
15/12/14

AO के आदेश पर
S. Javedanis expert
आज्ञा से
(रईस अहमद)
अनु सचिव।
15/12/14
SAO

1495


14/12/14
2
14/12/14 200
Z
Uttarakhand State
Dehra Dun

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्या : 435 / IV(1)2013-1(40) 2012
देहरादून, 09 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड घ में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला हरिद्वार की नगर पंचायत झबरेड़ा में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं :-


क्र०सं०	नाम	श्रेणी
01	श्री गौरव वर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र वर्मा	अनुसूचित जाति / जनजाति
02	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री काशीराम, निवासी वार्ड नं० 4, झबरेड़ा	अनुसूचित जाति / जनजाति
03	श्रीमती निरज रानी पत्नी श्री हितेश शर्मा, पता वार्ड नं० 3, झबरेड़ा	महिला
04	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सीमा राम, पता झबरेड़ा	अन्य

भवदीय

(डी०एस० गर्बाल)
सचिव।

संख्या : 435 / IV(1)2013-1(40) 2012, तददिनांक।


प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 6- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
- 7- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- 8- अध्यक्ष, नगर पंचायत झबरेड़ा।
- 9- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, झबरेड़ा।
- 10- नामित सम्बन्धित सदस्यगण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(रईस अहमद)
अनु सचिव।

1496

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्या : 436 / IV(1)2013-1(40) 2012
देहरादून, 09 दिसम्बर, 2014



अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड घ में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला हरिद्वार की नगर पंचायत लक्सर में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं :-

क्र०सं०	नाम	श्रेणी
01	श्रीमती कमला कश्यप पत्नी श्री लख्मीर सिंह कश्यप	महिला
02	श्री राहुल गर्ग पुत्र श्री रमेश गर्ग, अग्रवाल कॉलोनी, लक्सर	अन्य
03	श्री महेन्द्र सिंह तोमर, बस अड्डा लक्सर	अन्य

भवदीय

(डी०एस०/गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या : 436 / IV(1)2013-1(40) 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 6- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
- 7- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- 8- अध्यक्ष, नगर पंचायत लक्सर।
- 9- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लक्सर।
- 10- नामित सम्बन्धित सदस्यगण।
- 11- गार्ड फाईल।


आज्ञा से

(रईस अहमद)
अनु सचिव।

02

1497


उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्या : 438 / IV(1)2013-1(40) 2012
देहरादून, 09 दिसम्बर, 2014



अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 6 की उपधारा 1 के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में अंकित व्यक्तियों को नगर निगम, हरिद्वार में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं:-


क्र०सं०	नाम	श्रेणी
01	श्री मुस्तकीम उर्फ छम्मनपीर, मण्डी का कुंआ, ज्वालापुर, हरिद्वार।	अल्पसंख्यक
02	श्री रमन वशिष्ठ पुत्र श्री विष्णु वशिष्ठ निवासी गौरु घाट, हरिद्वार	अन्य
03	श्रीमती उमा गुजराल पत्नी श्री सतीश गुजराल, नयी बस्ती भीमगोड़ा, हरिद्वार।	अन्य
04	श्री अनूप शर्मा पुत्र श्री किशन दत्त शर्मा, निवासी शरदा नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार।	अन्य

भवदीय

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या : 438 / IV(1)2013-1(40) 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 6- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
- 7- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- 8- मेयर, नगर निगम, हरिद्वार।
- 9- मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार।
- 10- नामित सम्बन्धित सदस्यगण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(रईस अहमद)
अनु सचिव।

1498

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्या : 446 / IV(1)2013-1(40) 2012
देहरादून, 09 दिसम्बर, 2014

15/12/14
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड घ में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला हरिद्वार की नगर पालिका परिषद, मंगलौर में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं :-

क्र०सं०	नाम	श्रेणी
01	श्री मदन पाल पुत्र श्री हरी राम।	अनुसूचित जाति / जनजाति
02	श्री गुलाम अब्बास पुत्र श्री निशार अहमद, निवासी मौहल्ला हल्का, मंगलौर।	अन्य पिछड़ी जाति
03	श्रीमती साजदा खातून पत्नी श्री मजाहिर हुसैन, निवासी मौहल्ला पठानपुरा, मंगलौर।	महिला
04	श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री सुगन चन्द्र शर्मा, निवासी मानक चौक, मंगलौर।	अन्य

भवदीय

(डी०एस०/गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या : 446 / IV(1)2013-1(40) 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 6- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
- 7- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- 8- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मंगलौर।
- 9- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मंगलौर।
- 10- नामित सम्बन्धित सदस्यगण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(रईस अहमद)
अनु सचिव।

1499

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्या : 437 / IV(1)2013-1(40) 2012
देहरादून, 09 दिसम्बर, 2014

15/12/14
2
शहरी विकास विभाग
देहरादून

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड घ में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला हरिद्वार की नगर पंचायत लण्डौरा में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं :-

क्र०सं०	नाम	श्रेणी
01	डॉ० पहल सिंह आर्य पुत्र श्री लाल सिंह, पता दलित बस्ती, लण्डौरा।	अनुसूचित जाति / जनजाति
02	चौधरी रामपाल सिंह पुत्र स्व० श्री तुंगल सिंह, निवासी मौहल्ला गुज्जरवाड़ा लण्डौरा।	अन्य पिछड़ी जाति
03	श्री नसीर अंसारी पुत्र श्री नसीबुद्दीन अंसारी, निवासी मौहल्ला गडरियान, लण्डौरा।	अल्पसंख्यक
04	सुश्री शानो पुत्री मौहम्मद आशिक, निवासी बार्ड नं० 5, लण्डौरा।	महिला
05	मौहम्मद आसिफ पुत्र श्री निजार अहमद	अन्य

भवदीय

(डी०एस० गर्बाल)
सचिव।

संख्या : 437 / IV(1)2013-1(40) 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 6- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
- 7- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- 8- अध्यक्ष, नगर पंचायत लण्डौरा।
- 9- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लण्डौरा।
- 10- नामित सम्बन्धित सदस्यगण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(रईस अहमद)
अनु सचिव।

02

1500

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्या : 445/IV(1)2013-1(40) 2012
देहरादून, 09 दिसम्बर, 2014

15/12/14
2
उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
देहरादून

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 6 की उपधारा 1 के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में अंकित व्यक्तियों को नगर निगम, देहरादून में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं:-

क्र०सं०	नाम	श्रेणी
01	श्री विकास चौहान पुत्र श्री रामसिंह, निवासी 115, पथरिया पीर नैशबिला रोड़, देहरादून।	अनुसूचित जाति/जनजाति
02	श्री रामू पाण्डेय पुत्र स्व० श्री राम प्रसाद निवपासी वार्ड नं० 42, कारगी।	अन्य पिछड़ा वर्ग
03	श्री अजय शर्मा पुत्र श्री सोम प्रकाश शर्मा, निवासी 52 आढ़त बाजार, देहरादून।	अन्य
04	श्री गुरमीत सिंह बग्गा पूर्वी पटेल नगर, रेस्ट कैम्प, देहरादून।	अन्य


भवदीय


(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या : 445/IV(1)2013-1(40) 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 6- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
- 7- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 8- मेयर, नगर निगम, देहरादून।
- 9- मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
- 10- नामित सम्बन्धित सदस्यगण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(रईस अहमद)
अनु सचिव।

1501

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्या : 444/IV(1)2013-1(40) 2012
देहरादून, 09 दिसम्बर, 2014

15/12/14
2
उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
देहरादून, 09 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड घ में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला देहरादून की नगर पालिका परिषद, विकासनगर में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं :-

क्र०सं०	नाम	श्रेणी
01	श्रीमती सुमन एडवोकेट देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र, निवासी वार्ड नं० 5, कल्याणपुर, विकासनगर।	अनुसूचित जाति/ जनजाति
02	श्री अश्वनी कुमार केवट निषाद पुत्र श्री दौलत राम केवट, निवासी वार्ड नं० 5, विकासनगर।	अन्य पिछड़ी जाति
03	श्री विनोद गुप्ता पुत्र स्व० श्री सुखबीर चन्द्र गुप्ता, निवासी वार्ड नं० 1, विकासनगर।	अन्य
04	श्री प्रेम प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री उग्रसेन पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष, सिनेमा रोड, विकास नगर, देहरादून।	अन्य

भवदीय


(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव।


संख्या : 444/IV(1)2013-1(40) 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 6- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
- 7- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 8- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, विकासनगर।
- 9- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर।
- 10- नामित सम्बन्धित सदस्यगण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से


(रईस अहमद)
अनु सचिव।



1502

15/12/14
2
शहरी विकास अनुभाग
देहरादून, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्या : 442 / IV(1)2013-1(40) 2012
देहरादून, 09 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड घ में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला देहरादून की नगर पालिका परिषद, मसूरी में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं :-

क्र०सं०	नाम	श्रेणी
01	श्री अरविन्द सोनकर माउन्ट रोज केम्बैक रोड, मसूरी।	अनुसूचित जाति / जनजाति
02	श्री राम प्रसाद निवासी कवि मसूरी।	अन्य पिछड़ी जाति
03	श्रीमती भरोसी रावत पत्नी श्री भगवान नियर गलहिन निवासी मसूरी।	अन्य
04	श्री स० हरभजन सिंह कुलड़ी, निवासी नियर मद्रास कैफे मार्ग, मसूरी।	अन्य

भवदीय

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या : 442 / IV(1)2013-1(40) 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 6- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
- 7- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 8- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 9- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 10- नामित सम्बन्धित सदस्यगण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(रईस अहमद)
अनु सचिव।

OC

1503


15/12/14 200
2
शहरी विकास निदेशालय
देहरादून, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्या : 441/IV(1)2013-1(40) 2012
देहरादून, 09 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड घ में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला देहरादून की नगर पंचायत हरबर्टपुर में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं :-



क्र०सं०	नाम	श्रेणी
01	श्री रघुबीर सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, वार्ड नं० 3 झाडोवाला, हरबर्टपुर।	अनुसूचित जाति / जनजाति
02	श्री फुरकान अहमद पुत्र मौ० याकुब, बार्ड नं० 5, हरबर्टपुर।	अन्य पिछड़ी जाति
03	श्री प्रमोद रोहेला पुत्र श्री राम चन्द्र रोहेला, मौर्य टैन्ट हॉउस के पीछे।	अन्य
04	श्री योगेन्द्र कौशिक पुत्र स्व० श्री जयदत्त कौशिक, निवासी वार्ड नं० 3, सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर।	अन्य

भवदीय

(डी०एस० गर्बाल)
सचिव।

संख्या : 441/IV(1)2013-1(40) 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 6- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
- 7- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 8- अध्यक्ष, नगर पंचायत हरबर्टपुर।
- 9- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हरबर्टपुर।
- 10- नामित सम्बन्धित सदस्यगण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(रईस अहमद)
अनु सचिव।


15024


15/12/14
2
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्या : 440 / IV(1)2013-1(40) 2012
देहरादून, 09 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड घ में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला देहरादून की नगर पंचायत डोईवाला में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं :-


क्र०सं०	नाम	श्रेणी
01	श्री राजेश कुमार पंत्र श्री अम्बिका प्रसाद, शुगर मिल कॉलोनी, डोईवाला।	अनुसूचित जाति/ जनजाति
02	श्री गौरव मलहोत्रा, निवासी डोईवाला।	अन्य पिछड़ी जाति
03	श्री एहसान अली पुत्र श्री महमूद हसन, वार्ड नं० 1, डोईवाला।	अल्पसंख्यक
04	श्रीमती सिमरन कौर पत्नी श्री शेर सिंह पाटा वार्ड नं० 3, हरिद्वार रोड़, डोईवाला।	महिला

भवदीय

(डी०एस० गर्ग) सचिव।

संख्या : 440 / IV(1)2013-1(40) 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 6- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
- 7- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 8- अध्यक्ष, नगर पंचायत डोईवाला।
- 9- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डोईवाला।
- 10- नामित सम्बन्धित सदस्यगण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(रईस अहमद)
अनु सचिव।

1505

15/12/14
2


उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्या : 443/IV(1)2013-1(40) 2012
देहरादून, 09 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड घ में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला देहरादून की नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं :-

क्र०सं०	नाम	श्रेणी
01	श्री जतिन जाटव पुत्र श्री जयपाल जाटव, निवासी सोमश्वर नगर, ऋषिकेश।	अनुसूचित जाति / जनजाति
02	श्री सुनील गोस्वामी पुत्र श्री रामचन्द्र गोस्वामी, निवासी चन्द्रशेखर मार्ग, ऋषिकेश।	अन्य पिछड़ी जाति
03	श्री अरविन्द जैन पुत्र स्व० श्री प्रेमचन्द्र जैन, निवासी 75, जीवनी मार्ग, ऋषिकेश।	अल्पसंख्यक
04	श्रीमती नजमा, (वन गुर्जर)	महिला

भवदीय



(डी०एस० गर्बाल)
सचिव।

संख्या : 443/IV(1)2013-1(40) 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 6- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
- 7- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 8- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश।
- 9- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश।
- 10- नामित सम्बन्धित सदस्यगण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से


(रईस अहमद)
अनु सचिव।

02